

आयुष दवाओं की सुरक्षा नगिरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सद्धि, यूनानी और होम्योपैथी (ASU&H) दवाओं की सुरक्षा नगिरानी बढ़ाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है।

योजना का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयुष दवाओं के फायदों के साथ ही इनके दुष्परभावों का लखिति रिकॉर्ड रखना और इन दवाओं के बारे में भ्रामक वजिआपनों पर रोक लगाना है।

प्रमुख बद्धि

- आयुष सचवि की अध्कषता में गठति स्थायी वतित समतिने 1 नवंबर, 2017 को इस योजना को मंजूरी दी थी, जसिके बाद वतित वर्ष 2017-18 के अंत में इसे लागू करने का काम शुरू कर दया गया।
- इस योजना के तहत देश भर में आयुष दवाओं की नगिरानी के लिये तीन स्तरीय नेटवर्क बनाने का काम कया जा रहा है।
- मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त नकिया के रूप में कार्यरत नई दलिली स्थति अखलि भारतीय आयुर्वेद संस्थान को आयुष दवाओं की नगिरानी से जुड़ी गतविधियिों के बीच समन्वय बनाने का काम सौपा गया है।
- योजना को लागू करने के शुरुआती स्तर पर पाँच राष्ट्रीय आयुष संस्थानों तथा 42 अन्य आयुष संस्थानों को इस काम में मदद करने की ज़मिमेदारी सौपी गई है। इसके तहत इन संस्थानों को आयुष दवाओं का लखिति रिकॉर्ड बनाने, उसका वशिलेषण करने, दवाओं के दुष्परभावों का आकलन कर उनका रिकॉर्ड तैयार करने तथा आयुष दवाओं के सेवन से जुड़ी अन्य गतविधियिों का रिकॉर्ड भी रखने का काम करना है। मंत्रालय ने 2020 तक देश में ऐसे 100 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
- आयुष दवाओं हेतु सुरक्षा नेटवर्क बनाने को सरकार ने अखलि भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिये शुरुआती तौर पर 10.60 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकार कया है।
- आयुष दवाओं की नगिरानी के इस काम में केंद्रीय औषध मानक नरिंत्रण संगठन और भारतीय फार्माकोपिया आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission) भी आयुष मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।